



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2024-02597

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष,  
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

श्री राजेन्द्र राय, पिता—श्री नर्मदा प्रसाद राय,  
निवासी—फ्लैट क्रमांक—35, ब्लॉक—2ए,  
ऐश्वर्यम् कॉलोनी, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

..... आवेदक

### विरुद्ध

श्री राजेश जिंदल,  
ब्रम्हा बिल्डर एण्ड डेव्हलपर्स,  
पता—होटल जिंदल रेजेन्सी,  
ढिमरापुर रोड, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

..... अनावेदक

### उपस्थिति :-

- (1) श्री केवल देवांगन, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।
- (2) श्री शाश्वत सुराना, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“ऐश्वर्यम् विले”, जिला—रायगढ़)

आदेश

(दिनांक—29 / 01 / 2025)

आवेदक श्री राजेन्द्र राय, पिता—श्री नर्मदा प्रसाद राय, निवासी—फ्लैट क्रमांक—35, ब्लॉक—2ए, ऐश्वर्यम् कॉलोनी, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 एतद् पश्चात् अधिनियम छ. ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका—35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट “ऐश्वर्यम् विले” के द्वारा बनाये गये आवास में वर्ष 2014 से निवास कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट सन् 2013 से 90 प्रतिशत फ्लैट के साथ पूरा हुआ था, जिसमें 105 फ्लैट में से 92 फ्लैट में लोग निवास कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट रेरा में पजीकृत नहीं है, जिस कारण से यह कॉलोनी नगर निगम के हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। नगर निगम, रायगढ़ आवश्यक सुविधायें जैसे—बिजली, पानी, नाली सड़क और कचड़ा को एकत्रीकरण नहीं कर रहा है। न ही बिल्डर के द्वारा समिति का गठन अभी तक किया गया है, जिससे प्रोजेक्ट के रहवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिका द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष

चाही गई है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन कराये, जिससे आबंटितीगण मूलभूत सुविधाओं का उपभोग कर सके।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि प्रारंभ में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में आवेदक के सभी कथनों को असारभूत काल्पनिक तथ्यों के विरुद्ध अस्वीकार किया जाता है। अनावेदक द्वारा आवेदन की कंडिका-03 विषयवस्तु किसी सारभूत साक्ष्य से रहित होने से विशिष्ट रूप से एवं स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। वर्तमान परिवाद असद्भाव के साथ अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने तथा विधिपूर्ण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये भारी लागत सहित खारिज किये जाने योग्य है। अनावेदक द्वारा आवेदन की कंडिका-04 की विषयवस्तु काल्पनिक एवं असारभूत होने से विशिष्ट रूप से एवं प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार किया गया है। प्रोजेक्ट रेरा के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है, इस कारण कॉलोनी को नगर निगम को अंतरित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप रायगढ़ नगर निगम मूलभूत सेवायें यथा विद्युत, जल, ड्रेनेज, सड़क, कचरा संग्रहण नहीं प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा अभी तक सोसायटी या समिति नहीं बनाया गया है, जिससे वहाँ रहने वाले रहवासियों को असुविधा हुई है। अनावेदक का कथन है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 स्पष्ट रूप से प्रारंभ की दिनांक से चालू परियोजना को लागू होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यूटेक प्रमोटर्स एवं डेव्हलपर्स प्रा.लि. विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य (2021 एस. सी.सी. ऑनलाईन एस.सी 1044) में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि रेरा के अधिनियमित होने के पूर्व पूर्ण हो गये परियोजनाओं पर भूतलसी रूप से लागू नहीं होगा। प्रश्नगत प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। संबंधित इंजीनियर ब्लॉक-01, 2ए तथा 02बी के लिये दिनांक 20.03.2011 को तथा ब्लॉक-03 के लिये दिनांक 25.12.2012 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ग्राम-पंचायत विजयपुर, जिला-रायगढ़ ने भी ब्लॉक-01, 02ए तथा 02बी को दिनांक 19.03.2011 तथा ब्लॉक-03 के लिये दिनांक 10.04.2012 को पूरा होने को प्रमाणित करते हुये पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, रायगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2012 को अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र निर्णायक रूप से स्थापित करते हैं कि प्रोजेक्ट सभी तरह से रेरा अधिनियम, 2016 में बनने के पूर्व भलीभाँति पूर्ण हो गया है, इसलिये परिवाद खारिज किये

जाने योग्य है। क्योंकि निविदादित तथ्यों से स्थापति होता है कि प्रोजेक्ट रेरा अधिनियम बनने के पूर्व 2012 में ही पूरा हो गया है, इसलिये प्राधिकरण वर्तमान परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकारिता नहीं रखता है। परिभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार परिवाद परिसीमा द्वारा निराशाजनक रूप से बाधित है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत परिवाद दायर करने की परिसीमा अवधि वाद कारण दिनांक से तीन वर्ष है। प्रोजेक्ट 2012 में पूर्ण हो गया है और आवेदक प्राधिकरण के समक्ष अयुक्तियुक्त तथा अप्रत्याशित रूप से एक दशक से अधिक विलंब से आया है। आवेदक द्वारा बुनियादी सुविधाओं विद्युत, जल, सड़क, ड्रेनेज एवं कचरा प्रबंधन की अनुचित रखरखाव से संबंधित शिकायतों को उठाया गया है। यह उत्तरदायित्व पूरी तरह से नगर निगम, रायगढ़ और ग्राम पंचायत विजयपुर, जिला-रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो आबंटितियों के संघ जो उनके द्वारा निर्मित ऐश्वर्यम् वेलफेयर सोसायटी है, के साथ प्रकरण के अनिवार्य पक्षकार है। आवेदक द्वारा जान-बूझकर महत्वपूर्ण सारभूत तथ्यों को छुपा दिया गया है, जो प्रोजेक्ट के चारों ओर की परिस्थितियों का स्पष्ट प्रकट करते हैं। वर्ष 2015-2016 में प्रोजेक्ट के आबंटिगीण प्रोजेक्ट का प्रबंधन और अनुरक्षण के लिये स्वेच्छापूर्वक सोसायटी बनाये गये थे। इस सोसायटी के निर्माण से अनुरक्षण के लिये सभी उत्तरदायित्व, जिसमें आधारभूत सुविधाओं का रखरखाव समाहित है। स्वतः सोसायटी द्वारा अपने अनुरूप से पूरी तरह से किया गया है। उल्लेखनीय रूप से आवेदक इस सोसायटी के प्रशासन में सक्रिय भागीदार है। सोसायटी के बैंक संचालन के लिये वर्ष 2017 में अधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता तथा अध्यक्ष के रूप में सेवा किया गया है। आवेदक द्वारा स्वतः अपने परिवाद में संलग्न पत्र दिनांक 07.01.2017 द्वारा सिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह एक निर्विवादित तथ्य है कि पिछले 07-08 वर्षों से कोई अनुरक्षण शुल्क अनावेदक द्वारा किसी आबंटिती से संग्रहित नहीं किया गया है और न ही किसी आबंटिती द्वारा प्रोजेक्ट के अनुरक्षण राशि का भुगतान ही अनावेदक को किया गया है। इसके अतिरिक्त यह आवेदक का प्रकरण भी नहीं है। ऐसे आधारभूत जानकारी का जान-बूझकर लोप प्रकरण की तस्वीर को तोड़-मरोड़कर एवं अपूर्ण रूप में प्रस्तुत करके प्राधिकरण को गुमराह करने का प्रयत्न गठित करता है। ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.पी. चेंगलवराया नायडू विरुद्ध जगन्नाथ (1994 एस.सी.सी (1) 1) में अवधारित किया गया है कि जहाँ यह संप्रेक्षित किया गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिये सारभूत तथ्यों का दमन छल के समतुल्य है। इन तथ्यों को छिपाकर आवेदक द्वारा अनुचित रूप से अनावेदक को उत्तरदायित्वों को उपारोपित करने की मांग किया गया है, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है, इससे परिवार आधारहीन तथा द्वेषपूर्ण हो गया है। आवेदक की आधारभूत सुविधाओं विद्युत, जल, सड़क तथा कचरा प्रबंधन के अनुचित रखरखाव से संबंधित शिकायत नगर निगम एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्र के

अधीन आती है। ऐसी शिकायतों के लिये समुचित फोरम स्थानीय प्राधिकारीगण हैं और आवेदक का उत्तरदायित्व को अनावेदक पर डालने का प्रयत्न असंधार्य एवं अन्यायोचित है। आवेदक, अनावेदक के विरुद्ध कोई विधिक या तथ्यात्मक वाद कारण स्थापित करने में असफल हुआ है। प्रोजेक्ट वर्ष 2012 में पूर्ण हो गया है तथा उसके पश्चात् वर्ष 2015-16 में सोसायटी का निर्माण हुआ, इससे अनावेदक किसी अग्रेतर दायित्वों से मुक्त हो जाता है तथा आवेदक संपूर्ण तथ्यों से अवगत होने के बावजूद जान-बूझकर का प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका कारण कोष के प्रबंधन तथा प्रोजेक्ट रखरखाव की शर्तों के बारे में आबंटितियों के मध्य आंतरिक विवादों का होना है।

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाबदावा, दस्तावेज के अवलोकन तथा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय के बिंदु निर्धारित किये जाते हैं:-

1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार है?
2. क्या आवेदक का आवेदन समय-सीमा के भीतर है?
3. क्या आवेदक को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।

5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 एवं छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-35 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वह भू-संपदा प्रोजेक्ट "ऐश्वर्यम् कॉलोनी", रायगढ़ में वर्ष 2014 से निवास करते आ रहा है, इसलिये आबंटिती है। उक्त भू-संपदा प्रोजेक्ट को ब्रम्हा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होटल जिंदल रेजेंसी द्वारा संप्रवर्तक के रूप में विकसित किया गया है, आवेदक की प्राधिकरण से याचना है कि उक्त भू-संपदा प्रोजेक्ट प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है, जिसके कारण यह कॉलोनी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को हस्तांतरित नहीं हुई है, जिससे आबंटिती बिजली, नाली, पानी, सड़क एवं साफ-सफाई की मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं, अतः संप्रवर्तक को कॉलोनी पंजीकृत करने का निदेश दिया जाए। यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में रिट पीटिशन क्रमांक-5835/2022 पंजीकृत था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2023 को रेरा में जाने हेतु आदेशित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के रिट पीटिशन क्रमांक-5835/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के परिपेक्ष्य में आवेदन पर विचारण किया जा रहा है।

6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार:-** चूँकि प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय छ.ग., बिलासपुर के निदेश पर आवेदन पर विचारण किया जा रहा है, अतः आवेदन पर काल सीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
7. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-03 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है कि भू-संपदा प्रोजेक्ट "ऐश्वर्यम कॉलोनी", रायगढ़ में आवेदक स्वयं अन्य 92 फ्लैट के रहवासियों सहित वर्ष 2014 निवास करते आ रहा है और यह प्रोजेक्ट वर्ष 2013 में 90 प्रतिशत फ्लैट के साथ पूर्ण हुआ। आवेदक स्वयं स्वीकार कर रहा है, कि वर्ष 2013 में यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। उस समय भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 प्रचलन में नहीं था। अतः प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन के आवेदन अनुसार संभव ही नहीं था।

अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विधि का दुरुपयोग किया जा रहा है एवं आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार किया गया। भू-संपदा प्रोजेक्ट का पंजीयन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऑनगोईंग के लिये लागू होता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व पूर्ण हो चुके थे, पर अधिनियम के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लागू नहीं होता है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य (2021एस.सी.सी.ऑनलाईन एस.सी. 1044) अवलोकनीय है। प्रश्नगत प्रोजेक्ट पूर्णता पूर्ण एवं सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्राप्त है, संबंधित अभियंता द्वारा ब्लॉक-1, 2ए एवं 2 बी के लिये दिनांक 20.03.2011 एवं ब्लॉक-3 को दिनांक 25.12.2012 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत, विजयपुर, रायगढ़ द्वारा भी पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 19.03.2011 को ब्लॉक-1, 2ए एवं 2 बी के लिये तथा ब्लॉक-3 के लिए दिनांक 10.04.2012 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा नगर एवं ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र क्रं.-398/ए द्वारा दिनांक 27.03.2012 को जारी किया गया है, उक्त प्रमाण पत्र से स्पष्ट है, कि आवेदन विचारण योग्य ही नहीं है एवं प्राधिकरण को विचारण क्षेत्राधिकार भी नहीं है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट पूर्ण होने के दस वर्ष पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि भारतीय परिसीमा अधिनियम-1963 के प्रावधानों के अधीन स्वीकार्य योग्य नहीं है, अनुरक्षण संबंधी एवं बिजली, पानी, सड़क व नाली संबंधी सुविधाएँ नगर पालिक निगम, रायगढ़/ग्राम पंचायत, विजयपुर का उत्तरदायित्व है, जिसके संबंध में प्राधिकरण को विचारण क्षेत्राधिकार नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन से कॉलोनी का स्थानीय नगरी निकाय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को हस्तांतरण का कोई संबंध नहीं है, अतः आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।

आवेदन के तथ्यों का अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अधिनियम की धारा-03 का उद्धरण निम्नानुसार है:-

“भू-संपदा परियोजना का भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास पूर्व रजिस्ट्रीकरण-(1)कोई भी संप्रवर्तक भू-संपदा परियोजना को इस अधिनियम के अधीन स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर करए बिना किसी योजना क्षेत्र में, यथास्थिति, किसी भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथव क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करेगा:

परंतु उन परियोजनाओं के लिए जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को चल रही है और जिनके लिए कार्य पूरा नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, संप्रवर्तक उक्त परियोजना का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकारी, आबंटितियों के हित में, उन परियोजनाओं के लिए, जो योजना क्षेत्र से परे किंतु स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा से विकसित की जाती है, आवश्यक समझता है तो वह, आदेश द्वारा संप्रवर्तक को उस परियोजना को प्राधिकारी के पास रजिस्टर कराने का निर्देश दे सकेगा और इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध उन परियोजनाओं को रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम से लागू होंगे।”

(2) उप-धारा(1), में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भू-संपदा परियोजना का कोई रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम उस दशा में अपेक्षित नहीं होगा,-

(क)जब विकसित किए जाने वाला प्रस्तावित भू-क्षेत्र पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं है या विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित अपार्टमेंटों की संख्या आठ से अधिक नहीं है, इसमें ऐसे सभी अवस्थान क्रम की संख्या भी है:

परंतु यदि समुचित सरकार इसे आवश्यक समझती है, तो वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट के लिए अवसीमा, यथास्थिति, पाँच सौ वर्गमीटर या आठ अपार्टमेंटों से नीचे तक, सभी अवस्थान क्रमों सहित कम कर सकेगी:

(ख) जहाँ संप्रवर्तक को इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व भू-संपदा परियोजना का कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो:

(ग) ऐसे नवीनीकरण या मरम्मत या पुनर्विकास के प्रयोजन के लिए जिसमें इस भू-संपदा परियोजना के अधीन, यथास्थिति, किसी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के विपणन, विज्ञापन, विक्रय नया आबंटन अंतर्लित नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहाँ भू-संपदा परियोजना को अवस्थान-क्रम में विकसित किया जाना है, वहाँ प्रत्येक ऐसे अवस्थान-क्रम को एकल भू-संपदा परियोजना माना जाएगा और संप्रवर्तक, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रत्येक अवस्थान-क्रम के लिए पृथक रूप से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा।

उक्त परिभाषा के अनुसार भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा-3(2)(ख) के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व भू-संपदा परियोजना का कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं है, सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के पत्र क्रमांक-398/ए, दिनांक 27.03.2012 के अवलोकन, ग्राम पंचायत, विजयपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2012 एवं दिनांक 19.03.2011 चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, कि भू-संपदा प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है, अतः आवेदक का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पोषणनीय नहीं है।

8. अस्तु समग्र विचारण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

सही /—  
(धनंजय देवांगन)  
सदस्य

सही /—  
(संजय शुक्ला)  
अध्यक्ष